# न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
## उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–187/2018
## बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम सुप्रिया मजूमदार

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 05.11.2019 | आदेश<br><br>प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1147/गो0 (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दरभंगा) दिनांक–28.07.18 से प्राप्त विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–124/18 दिनांक 14.06.18 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन होण्डा सिटी कार पंजीयन सं0–WB02-6193 को राज्यसात् करने हेतु प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया। समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी वाहन स्वामी इस वाद की कार्यवाही में न तो उपस्थित हुए और न ही कोई कारण पृच्छा दाखिल किये इसलिए एकपक्षीय सुनवाई की गयी।<br><br>विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि रात्रि गश्ती के क्रम में दिनांक 14.06.18 को सुबह रूहेलागंज के पास एक होण्डा सिटी कार रजि0 सं0–WB02-6193 के चालक पुलिस की गाड़ी को देखकर गाड़ी मोड़ कर तेजी से भगाने का प्रयास किया। जिसका पीछा किया गया तो गली में कार खड़ी पायी गयी, जिसमें से चालक एवं अन्य संभावित लोग भाग गये थे। स्थानीय साक्षी के समक्ष कार की तलाशी लिया गया, जिसमें डिक्की से (1) रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिसकी 375*ml* का बैच नं0–20 दिनांक 25.05.18 सील पैक फोर सेल अरूणाचल प्रदेश लिखा हुआ कार्टून में 136 पीस (2) रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिसकी 750*ml* का बैच नं0–05 दिनांक 21.04.18 सील पैक फोर सेल अरूणाचल प्रदेश लिखा हुआ कार्टून कुल 80 बोतल अवैध शराब बरामद किया गया, जिसे विधिवत जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन, चौर्य व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिए जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये।<br><br>विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में संलिप्त पाया गया, जिसमें से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन, चौर्य व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित तथा दण्डनीय अपराध है। उक्त वाहन से अवैध शराब का परिहवहन एवं चौर्य व्यापार बिहार उत्पाद अधिनियम–2016 का घोर उल्लंघन है। विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कुछ नहीं कहना है।<br><br>अतएव विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–124/18 दिनांक 14.06. | |

2018 में उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत जब्त वाहन पंजीयन सं0–**WB02-6193** होण्डा सिटी कार को बिहार उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

**लेखापित एवं संशोधित।**

| | |
|---|---|
| समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,<br>दरभंगा | समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,<br>दरभंगा |